This project is being conducted with financial participation from the European Union

रा.आ.बैंक – एएफडी निधियन कार्यक्रम

सनरेफ हाउसिंग इंडिया

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध (आरईओआई)

भारत में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त (सनरेफ) कार्यक्रम

हेतु लेखा परीक्षक फर्म की नियुक्ति

संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक (नदि)/एएफडी/सनरेफ लेखापरीक्षा/02 दिनांकित: 21.02.2022

1.1 अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु विज्ञापन

1.2 अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (आरईओआई)

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) फ्रांस विकास एजेंसी (एएफडी), फ्रांस, एवं यूरोपीय संघ (ईयू) के सहयोग से परियोजना जैसे भारत में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त (सनरेफ) की लेखा परीक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित **लेखा परीक्षक फर्म** (बाद में 'एजेंसियों' के रूप में संदर्भित) से आरईओआई आमंत्रित करता है।

परियोजना की जानकारी एवं कार्यक्षेत्र का विवरण नीचे खंड 1.4 एवं 1.5 में दिया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह जानकारी केवल सांकेतिक है। वास्तविक कार्यक्षेत्र प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज में उपलब्ध होगा जो इस आरईओआई के माध्यम से चयनित बोलीदाताओं को जारी किया जाएगा।

आवेदक केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा, या तो अपने नाम से या संयुक्त उद्यम (जेवी) के सदस्य के रूप में। यदि कोई आवेदक (किसी संयुक्त उद्यम सदस्य सहित) एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है या उसमें भाग लेता है, तो उन सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि, एकसमान उप सलाहकार कई आवेदनों में भाग ले सकता है।

यदि आवेदक एक संयुक्त उद्यम है, तो अभिरुचि की अभिव्यक्ति में निम्न शामिल होना चाहिए:

- सभी सदस्यों द्वारा किए गए जेवी करार की एक प्रति,
  या
- करार प्रस्ताव की प्रति के साथ सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक जेवी करार को निष्पादित करने का आशय पत्र,

इस दस्तावेज़ के अभाव में, अन्य सदस्यों को उप सलाहकार माना जाएगा।

उप- सलाहकार के अनुभव और योग्यता को आवेदनों के मूल्यांकन में ध्यान में नहीं रखा जाता है

इच्छुक आवेदकों को यह प्रमाणित करने वाली जानकारी प्रदान करनी होगी कि वे उन सेवाओं को करने के लिए योग्य और अनुभवी हैं। उस प्रयोजन के लिए, हाल ही में और इसी तरह की सेवाओं के प्रलेखित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए, नीचे भाग 1.9 देखें।

1.3 परियोजना की भूमिका

भारत में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग एवं ऊर्जा दक्ष आवास वित्त (सनरेफ) कार्यक्रम का उद्देश्य हरित एवं किफायती आवास समाधानों के विकास के वित्तपोषण द्वारा भारत में कम कार्बन अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना है।

फ्रांस विकास एजेंसी (*Agence Française de Développement, AFD*) ने अगस्त, 2017 में राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के साथ सहभागिता में और यूरोपीय संघ (ईयू) के समर्थन से सनरेफ हाउसिंग इंडिया कार्यक्रम शुरू किया।

यह कार्यक्रम निम्न पर केंद्रित है:

- आवास के लिए मौजूदा स्थानीय हरित लेबल को बढ़ावा देना;
- कम आय वाले परिवारों के लिए हरित आवास को अधिक किफायती बनाना;
- बाजार की क्षमता और हरित आवास की प्रासंगिकता का प्रदर्शन करना;
- सार्वजनिक नीतियों में हरित आवास के अनुकूल नियमों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

1.4 व्यापक पैरामीटर:

परियोजना में दो घटक शामिल हैं:

1. दो उप-घटकों के साथ एक वित्तीय घटक (100 मिलियन यूरो की ऋण सुविधा और पात्र ऋण की लागत को कम करने के लिए 9 मिलियन यूरो का निवेश अनुदान, जिसमें हरित लेबल प्रमाणन के लिए समर्पित 1 मिलियन यूरो तक शामिल है)।

2. तकनीकी घटक (3 मिलियन यूरो मूल्य का) जिसका कार्य निजी एवं सार्वजनिक हितधारकों को हरित आवास योजनाओं के विस्तार एवं कार्यान्वयन में उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा बाजार में उनकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने के लिए समर्थन करना है।

1.5 आरईओआई कार्यक्षेत्र:

20 जुलाई, 2017 के वित्त पोषण करार के अनुसार (अनुदान करार, धारा 3)2)1.ड़), परियोजना खाते का वार्षिक आधार पर "परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा" (अर्थात 27 दिसंबर, 2022) तक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित लेखा परिक्षित फर्म द्वारा लेखा परीक्षा किया जाएगा। । इस लेखा परीक्षा का उद्देश्य लेखा परीक्षक को व्यवसायिक राय व्यक्त करने में सक्षम बनाना है:

कृपया ए एवं बी के लिये अंग्रेजी सार का संदर्भ लें।

लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनुशंसा भी देनी चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज़ में कार्यक्षेत्र का विवरण शॉर्टलिस्ट किए गए लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया जाएगा।

अनुबंध के आकार का अनुमान तीन (3) से चार (4) महीनों के कुल श्रम दिवसों के लिए चार (4) विशेषज्ञों (भागीदाए, टीम लीडर, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखा परीक्षक) की आवश्यकता के लिए लगाया गया है। अंतिम टीम संरचना को चयनित लेखा परीक्षकों द्वारा समायोजित और प्रस्तावित किया जाना है।

1.5.1 कवर की गयी अवधि

लेखापरीक्षा 30 जून को समाप्त प्रत्येक राजकोषीय वर्ष हेतु वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।

क) **पहली लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में 01/07/2019 से 30/06/2021 तक की अवधि शामिल होनी चाहिए।
ख) **दूसरी लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में 01/07/2021 से 30/06/2022 तक की अवधि शामिल होनी चाहिए।
ग) **तीसरी और अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट** में 01/07/2022 से 27/12/2022 तक की अवधि शामिल होनी चाहिए।

प्रत्येक अवधि के लिए लेखापरीक्षा के लिए सांकेतिक प्रारंभ तिथि प्रत्येक 1 जुलाई है, पहले लेखापरीक्षा को छोड़कर जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख के साथ ही शुरू होगा। फर्म 27 मार्च, 2023 तक तीसरी एवं अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी। अंतिम लेखापरीक्षा अवधि में किसी भी बदलाव के मामले में, फर्म द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।

1.6 बोलीदाताओं को निर्देश

1.6.1 प्रतिक्रिया की पूर्णता

क. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आरईओआई दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, आवश्यकताओं और अन्य सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। बोली की प्रस्तुति को इसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ आरईओआई दस्तावेज के सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद किया गया माना जाएगा।

ख. इस आरईओआई की प्रतिक्रिया सभी प्रकार से पूर्ण और संपूर्ण होनी चाहिए। आरईओआई दस्तावेजों के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना इसके लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है।

1.6.2 आरईओआई प्रस्ताव तैयार करने की लागत और संबंधित इश्यू:

कृपया ए, बी, सी, डी के लिये अंग्रेजी सार का संदर्भ लें।

1.6.3 किसी भी प्रश्न / शुद्धिपत्र के इश्यू की प्रतिक्रिया

क. रा.आ.बैंक द्वारा अधिसूचित नोडल अधिकारी सभी प्रश्नों का समय पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हालांकि, रा.आ.बैंक सद्भावना पूर्वक किए गए किसी भी प्रतिक्रिया की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है, और न ही रा.आ.बैंक बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का वचन देता है।

ख. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, रा.आ.बैंक, किसी भी कारण से, अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, शुद्धिपत्र द्वारा आरईओआई दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है।

ग. इस तरह के किसी भी शुद्धिपत्र को इस आरईओआई में शामिल माना जाएगा।

घ. संभावित बोलीदाताओं को शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने हेतु उचित समय प्रदान करने के लिए, रा.आ.बैंक, अपने विवेक पर, आरईओआई प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

1.6.4 प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार

क. रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी समय आरईओआई प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। रा.आ.बैंक कोई वचनबद्धता व्यक्त या निहित नहीं करता है, कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ व्यापार लेनदेन होगा।

ख. यह आरईओआई रा.आ.बैंक द्वारा एक प्रस्ताव का गठन नहीं करता है। इस प्रक्रिया में बोलीदाता की सहभागिता के परिणामस्वरूप बोलीदाताओं को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है।

1.6.5 प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करना

क. बोलियों को मुहरलबंद लिफाफे जिसके ऊपर (असाइनमेंट का नाम) एवं संदर्भ सं. रा.आ.बैंक (नदि)/एएफडी/सनरेफ लेखापरीक्षा/02 दिनांकित 21.02.2022 लिखा हो, में जमा की जानी चाहिये। इस लिफाफे में आरईओआई प्रस्ताव होना चाहिए तथा एक सॉफ्ट कॉपी नॉन-रीराइटेबल पेन ड्राइव के रूप में होनी चाहिए।

ख. बोलियों में पूर्व-योग्यता अनुभाग में परिभाषित सहायक प्रमाण एवं दस्तावेज शामिल होंगे।

ग. बोलीदाता विभिन्न टेम्प्लेट (प्रपत्र 1 से प्रपत्र 4) सहित अनुलग्नक में उल्लिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज जमा करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस आरईओआई में उल्लिखित विभिन्न प्रारूपों का पालन किया जाना चाहिये और प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिये।

घ. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत आरईओआई दस्तावेज संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें केवल आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।

1.6.6 महत्वपूर्ण आरएओआई विवरण:

I	आरईओआई दस्तावेज उपलब्ध कराने/अपलोड करने की तिथि।	21.02.2022
II	आरईओआई जमा करने की अंतिम तिथि और समय।	14.03.2022 4:00 बजे, नई दिल्ली का समय
III	आरईओआई बोली खोलने की तिथि और समय	14.03.2022 05:00 समय नई दिल्ली का समय

IV	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, प्रधान कार्यालय, कोर 5-ए, तीसरी-पांचवीं मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

1.6.7 बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप

संपूर्ण प्रस्ताव पूरी तरह से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए इस आमंत्रण में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होगा एवं किसी भी विचलन के परिणामस्वरूप आरईओआई प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1.6.8 जमा करने का स्थान और समय सीमा

क. प्रस्ताव **दो सेट में हार्ड कॉपी** प्लस एक सॉफ्ट कॉपी (पेन ड्राइव) में नीचे दिए गए पते पर दिनांक 14.03.2022 को अपराह्न 4.00 बजे (भारतीय मानक समय) तक श्री रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, कोर- 5ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली, - 110003, भारत, टेलीफोन: +91-11-39187000 (एक्स. 7043) ई-मेल: ranjan.barun@nhb.org.in; subhash@nhb.org.in में प्राप्त होने चाहिए:

ख. उपरोक्त समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

ग. टेलेक्स/टेलीग्राम/फैक्स/आदि द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. रा.आ.बैंक किसी भी डाक देरी या दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/ गैर-डिलीवरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस विषय पर आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. रा.आ.बैंक परियोजना की प्राथमिकताओं के साथ-साथ तत्काल प्रतिबद्धताओं के आधार पर उपरोक्त निर्धारित शर्तों/मानदंडों में से किसी को भी संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.7. शोर्ट लिस्टिंग मानदंड

क. रा.आ.बैंक उन बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगा जो अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण में उल्लिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

ख. बोलीदाता द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसके आरईओआई प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

1.7.1 मूल्यांकन प्रक्रिया:

क. रा.आ.बैंक बोलीदाताओं की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन करेगा।

ख. रा.आ.बैंक द्वारा गठित मूल्यांकन समिति आरईओआई और सभी सहायक दस्तावेजों और दस्तावेजी साक्ष्य के जवाबों का मूल्यांकन करेगी। अपेक्षित सहायक दस्तावेज या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण आरईओआई प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है।

ग. प्रत्येक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पूर्व-योग्यता मानदंड, प्रपत्रों और सहायक दस्तावेजों के अनुसार बोलीदाताओं के अनुपालन को मान्य करने के लिए किया जाएगा।

घ. अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा। समिति की मूल्यांकन प्रक्रिया के अलावा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. मूल्यांकन समिति परामर्श कार्य के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए बोलीदाताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुति/बैठक के लिए कह सकती है।

च. मूल्यांकन समिति किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.8. आरईओआई दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी:

वर्तमान आरईओआई दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

1.9 पूर्व-योग्यता मानदंड

तालिका अंग्रेजी अनुसार

प्रदान किए जाने वाले सभी दस्तावेज अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा स्टाम्प/मुहर के साथ प्रमाणित/हस्ताक्षरित होने चाहिए। संयुक्त उद्यम के मामले में, सभी सदस्यों को आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे।

परिशिष्ट I: बोली जमा करने हेतु प्रपत्र

बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस खंड में दिए गए प्रपत्रों और पूर्व-योग्यता/आरईओआई मानदंड का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों का उपयोग करके आरईओआई का जवाब दें।

प्रस्ताव/पूर्व-योग्यता बोली में निम्नलिखित प्रपत्र शामिल होंगे:

प्रपत्र 1 : पत्राचार विवरण के साथ कवरिंग पत्र
प्रपत्र 2 : आवेदक के परिचालन और लेखा परीक्षा व्यवसाय का विवरण
प्रपत्र 3 : पूर्व-योग्यता मानदंड के लिए अनुपालन पत्रक
प्रपत्र 4 : सत्यनिष्ठा, पात्रता विवरण और सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

प्रपत्र 1 से 4 के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध (आरईओआई) के अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX